वित्तीय स्वीकृति

संख्या-17/2017895/52-3-17-बजट(7)/2017

प्रेषक,

वैभव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 □□□□

□□□ में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण □□□वक्फ □□□□□-3, □□□□: दिनांक 15 □□, 2017

विषयः-वित्तीय वर्ष 2017-18 में □□ □□□□ □□□□ स्तर □□स्थायी मान्यता प्राप्त 3□□□ □□□□ मदरसों □□ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को □□□□ □□□ आदि □□ □□□□□ की वित्तीय स्वीकृति दे□□□□ में।

□□□□□,

उपर्युक्त विषयक □□□□पत्र □0-722/□0□0□0□0-52/□□□/□□□-प्रा0वि0/ 2017-18, दिनांक 27.05.2017 □□□ पत्र □0-788/□0□0□0□0-2016/□□□/□□0□□□/ 2017-18, दिनांक 01.06.2017 □□ □□□□ संदर्भ ग्रहण □□□□□ कष्ट करें।

2. □□ □□□□ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि उपर्युक्त विषय □□□□□ में □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□कि वित्त (3□ □ व्ययक) □□0-1 □□ कार्यालय ज्ञाप □0-1/2017/□□-1-02/□□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 □□ प्रस्तर-2(7) में दी □□□ व्यवस्था □□ □□□□□ □□ □□□ □ □□□□ स्तर □□ स्थायी मान्यता प्राप्त □□□□ □□□□□ मदरसों □□ शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के□□□□□ वेतनादि □□□□□□□ □□□□□□□□ □□वित्तीय वर्ष 2017-18 □□□□ स्वीकृत □□□□□□□ □□सापेक्ष प्रथम □□□ माहों □□□□□ वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये □□□□□□राजस्व पक्ष में प्राविधानित धन□□□□ रू0 9485.20 □□□ □□□□□□□□ व्यय □□ 5/12□□□□□ रू0 3952.16 □□□ (रू0 उन्तालिस □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ मात्र) स्वीकृत □□□□□□□□निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के □□□□ □□□□निवर्तन पर □□□□□□□की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष □□□□□ प्रदान की □□□□ हैं:-

(1) □□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ आवश्यकता □□ □□□□□ किया □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ आहरित □□ बैंक/□□□ □□ में □□□ नहीं किया □□□□□

(2) □□□ □□□स्वीकृत □□□□□□ □□□□□□ □□□□ द्वारा अनुमोदित पदों □□ □□□ आदि □□ ही □□□□□ किया □□□□□ किसी □□ □□□ में उक्त □□□□□□ □□किसी अन्य □□ में पुनर्विनियोग नहीं किया □□□□□

(3) उक्त स्वीकृत □□□□□□ □□सापेक्ष व्यय □□□□□□ □□ विवरण/□□□□□□□□ प्रमाण-पत्र □□□□ □□ 31 अगस्त, 2017 □□ उपलब्ध □□□□□ □□□□□

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार □□ व्यय □□□□□□ □□□□□ नहीं □□□ □□ जिन मामलों में उत्तर प्रदेश □□□ □□□□ □□ वित्तीय □□□□ संग्रहों □□□ स्थायी आदेशों □□ अन्तर्गत राज्य □□□□□/केन्द्र स□□□□ □□□□ अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की □□□ आवश्यक □□, □□ मामलों में व्यय □□□□□□ पूर्व □□□ स्वीकृति अवश्य प्राप्त □□ □□ □□□□

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति इ□ शर्त □□ □□□□□ प्रदान की □□□ □□कि □□□□□/ रजिस्ट्रा द्वारा □□□□□□ मदरसों □□ □□□□□ की □□□□□□ □□□ निर्गत की □□□□□, □□ □□ □□□□□□□□□□□ में □□□□□/शासनादेशों □□ अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्थ □□□□□□□ समस्त मानकों की पूर्ति □□□□ प्राविधानों □□□□□□□□ की स्थिति □□ संतुष्ट □□ लेंगे।

3. उक्त □□ □□□□□□□ व्यय □□□ वित्तीय वर्ष 2017-18 □□ □□-व्ययक □□□□□□ संख्या-48 □□ अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय- 10-□□ □□□ □□□□□ स्तर □□ स्थाई मान्यता प्राप्त अर□□ □□□□□ मदरसों □□ □□□□□□ -31-□□□□□□ □□□□□-सामान्य (□□□) □□□□□□□□□ □□□□□

4. □□ □□□ वित्त विभाग □□ कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/□□-1-02/ □□-2017-213/2017, दिनांक 02.01.2017 में प्रदत्त निर्देशों के□□□□□ निर्गत किये □□ □□□हैं।

भवदीय,

(□□□ श्रीवास्तव)
विशेष □□□

संख्या-895(1)/52-3-17-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को□ सूचनार्थ एवं□आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-□□□□□□□□□ (□□□ परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□□ (□□□ □□□□□□□री) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं□लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण □□□□□□□, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 □□□□□ शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (अ□□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/□□□□□□ □□□□□-3 □□□□□□ □□□□□/गार्ड □□□□

6-अल्पसंख्यक कल्याण □□ वक्फ □□□□□-1

7- कम्प्यूटर आ□□□□, अल्पसंख्यक कल्याण □□0-3 □□ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□

आज्ञा □,

(दीना □□)
□□ □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in